

सरकारी वभिागों में शकियात दर्ज करने के तरीके में बदलाव चर्चा में क्यों?

हाल ही में फरजी शकियातों को रोकने के लिये [उत्तराखंड](#) सरकार ने शकियात दर्ज कराते समय हलफनामा प्रस्तुत करना अनविर्य कर दिया है।

मुख्य बदि:

- **गलत वविरण से जुडी समस्या:** गलत पते और फोन नंबर वाली शकियातें पाई गई हैं, जिसके कारण नई आवश्यकता लागू की गई है।
- **शपथ-पत्र की आवश्यकता:** फरजी प्रस्तुतियों को रोकने के लिये अब शकियातों के साथ एक शपथ-पत्र प्रस्तुत कया जाना चाहिये।
- **उद्देश्य:** हलफनामे की आवश्यकता का उद्देश्य यह सुनिश्चति करना है कि सटीक और वैध शकियातें दर्ज की जाएँ तथा उनका उचित तरीके से निपटारा कया जाए।
- **कारण:** यह कदम झूठी शकियातों की समस्या का समाधान करता है, जिससे संसाधनों और समय का अपव्यय होता है तथा यह सुनिश्चति करने में मदद करता है कि केवल वास्तविक शकियातों पर ही कार्यवाही की जाए।